स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के अस्तित्व में आने के तीन सालों के बाद मुल्यांकन एवं भविष्य रणनीति

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडरस ऑफ इंडिया (नासवी) भारत के 23 राज्यों से 950 स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों का रास्ट्रीय संघ है | यह 1998 में एक नेटवर्क के रूप में शुरू हुआ और 2003 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत हुआ| यह स्ट्रीट वेंडर्स को आवाज और पहचान देता है, एवं आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और उनके क्षमता को आगे करने कि संभावनाओं को सामने लाता है | नीति व कानून और नई पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ-साथ नगरपालिका निकायों के साथ वेंडर्स के अधिकारों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास रत है| यह संगठन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को प्रेरित करता है, उन्हें अपने संगठनों के निर्माण के लिए सक्षम बनाता है और एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित वातावरण में उनकी उद्यमशीलता को बढ़ाने में उन्हें मदद करता है।

18 वर्षों के अथक प्रयास व संघर्ष के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को मान्यता मिली एवं एक ऐतिहासिक कानून 2014 में संसद द्वारा स्ट्रीट वेंडर (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग के नियमन) अधिनियम 2014 लागू किया गया है। यह अधिनियम भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका सुरक्षित करने के मामले में एक मजबूत अधिनियम है |

वर्षों से, नासवी अधिनियम लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा था, पहले एक संगठन के तौर आंदोलन, वकालत और विरोध की स्थिति से अलग आज नासवी की भूमिका बेहद बदल गई है , जो अब अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखता है | इस प्रक्रिया में एक पहरेदार के रूप में सभी स्तरों पर नज़र रखते हुए और सरकार के साथ मिलकर पूरे देश में कानून के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है|

अधिनियम आने के बाद

फिलहाल नासवी को देश भर में इस अधिनियम को कार्यान्वित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि यह अधिनियम भारत के कई अन्य अधिनियमो में एक नहीं हो जो लागु होने के वर्षों के बाद निष्क्रिय रहे है। ऐसा करने के लिए हमें स्ट्रीट वेंडर्स के बीच इस अधिनियम के मुख्य बिंदुओं के बारे में जागरूकता फैलाने और देश के विभिन्न हिस्सों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के मौजूदा स्तर को उजागर करने और विभिन्न अच्छे उदाहरण पर प्रकाश दिखाने की आवश्यकता है जो विभिन्न स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों द्वारा अपने शहर या जिले में कानून लागू करने के लिए उठाए गए।

मई 2017 में नासवी अधिनियम के लागु होने के तीन साल के पूरा होने का स्मरण करेगा। देश में राजनीतिक माहौल अब तय हो चुका है और अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के गहनता को

प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स और उनके नेताओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है

राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य

• अधिनियम के लागु होने के तीन साल बाद मूल्यांकन
• कानून के बेहतर कार्यान्वयन के लिए रणनीति
• अधिनियम और उसके आज तक के कार्यान्वयन के बारे में सभी के बीच जागरूकता बढ़ाने
• स्ट्रीट वेंडर्स के व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक रूप से जागरूक और एकजुट करना
• कौशल विकास सहित स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता का निर्माण
• महिला वेंडर्स की भागीदारी को मजबूत करना

स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 के कार्यान्वयन की स्थिति

नासवी का पूरा ध्यान सभी राज्यों में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के कार्यान्वयन के लिए बल देने पर रहा है| नासवी ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संबंधित मंत्रियों के साथ बैठक की | इस प्रक्रिया में नासवी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और शहरी गरीबी उन्मूलन श्री राव इंदरजीत सिंह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड के मुख्य मंत्री, गोवा के उपमुख्यमंत्री सहित कई राज्यों के शहरी विकास मंत्री और सचिव के साथ मुलाकात की | नासवी कि तरफ से स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन के लिए उन्हें पत्र भी लिखा है |

नासवी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगर निकाय, स्ट्रीट वेंडर्स संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं कई अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है | हमने अधिनियम के क्रियान्वयन के वस्तु स्तिथि पर निगरानी हेतु एक स्प्रेडशीट और संकेतको की सूची तैयार की है | कहने की ज़रूरत नहीं है बहुत ऐसे लोग अधिनियम के बारे में जानकारी के लिए लिखते है एवं हम उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं |

नियमों और स्कीम की अधिसूचना

अधिनियम के कार्यान्वयन में पहला कदम नियमों और योजनाओं की अधिसूचनाजरी करना है| यह नियम और स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम 2014 के धारा 36 और 38 के संरक्षण के तहत अधिसूचित होगी | वर्तमान में 16 राज्यों असम, बिहार, छतीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एवं 6 केंद्र शासीत राज्यों अंडमान एवं निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और दिल्ली में नियमावली अधिसूचित है |

10 राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित 3 केंद्र शासित राज्यों चंडीगढ़, दमन और दीव और दिल्ली में स्कीम भी अधिसूचित हो चुकी है|

बिहार - बिहार के 42 प्रमुख नगर निकायों) यूएलबी (में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवारी नासवी को बिहार सरकार द्वारा सौंपा गया है 42 | नगर निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है और उनकी बैठके भी हो रही है | नासवी ने 42 नगर निकायों में कुल55 , 635स्ट्रीट विक्रेताओं का बायोमेट्रिक सर्वेक्षण का काम पूरा किया है और सभी डेटा राज्य शहरी आजीविका मिशन के

वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं | कुल 306 वेंडिंग जोन चिन्हित किये गए है ,एवं 943 स्ट्रीट वेंडर के परिवार से उनके बच्चो को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ा गया है |भारतीय होटल प्रबंधन ,हाजीपुर ,द्वारा एफएसएसएआई अधिनियम के तहत सुरक्षित और स्वच्छ भोजन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है 40122 | स्ट्रीट वेंडर्स को पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई, पीएमजेडीवाई, पीएमजेएसबीवाई सहित सभी के लिए आवास जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है | वेंडर्स को बिहार शताब्दी स्कीम एवं , जननी सुरक्षा योजना के साथ भी जोड़ा जा रहा है14 | , 103 स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय समावेशन गतिविधि के तहत बैंक खाते खोलने, ऋण लिंकेज ,स्व रोजगार योजना एवं मुद्रा ऋण आदि की तरह जुड़ा हुआ है।

उत्तराखंड - उत्तराखंड में दो शहरों ,देहरादून एवं हरिद्वार में टाउन वेंडिंग समिति का गठन हो चूका है |काशीपुर, रुद्रपुर, हल्दवानी और रुड़की, टीवीसी का गठन प्रगति पर है | देहरादून एवं हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण भी हो चूका है एवं काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और रुड़की के सर्वेक्षण में प्रगति पर है | देहरादून में सर्वेक्षण नासवी द्वारा किया गया है 13 ,वेंडिंग जोन हरिद्वार में 12,वेंडिंग जोन देहरादून में बनाए गए हैं तथा 6 रुड़की में वेंडिंग जोन की पहचान की गई है |काशीपुर और हल्द्वानी में वेंडिंग क्षेत्र की पहचान की प्रक्रिया प्रगति पर है |देहरादून में पहचान पत्र की वितरण प्रक्रिया प्रगति पर है एवं अभी तक 2000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं|

मध्यप्रदेश - मध्य प्रदेश अभी भी 2012 में अपने राज्य के लिए बनाई गई कानून का पालन कर रहा है | नगर निकायों ने केंद्रीय कानून के अनुसार सर्वेक्षण शुरू नहीं किया, केवल पुराने कार्ड को ही नवीनीकरण किया जा रहा है |टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन पूर्व में किया गया था, जो वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है एवं सक्रिय भी नहीं है | यह मात्र औपचारिकताएं भर है |भोपाल और ग्वालियर में हॉकर ज़ोन बनाये किए गए थे | टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन मध्य प्रदेश के चार जिले में किया गया है, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर एवं इन जिलों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है | जबलपुर में, 12वेंडिंग जोन बनाए गए हैं | ग्वालियर व भोपाल में कुछ वेंडिंग क्षेत्र की पहचान की गई है |ग्वालियर में पहचान पत्र के वितरण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

राजस्थान – राजस्थान में नियमावली एवं स्कीम दोनों ही बन चुकी है| टाउन वेंडिंग समिति का गठन जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर व बाड़मेर में हो चूका है| जोधपुर, माउंट आबू एवं कोटा में सर्वेक्षण का काम हो चूका है| जोधपुर में वेंडिंग जोन को चिन्हित किया जा चूका है|

पंजाब - पंजाब में नियमावली एवं स्कीम दोनों का अधिग्रहण हो चूका है| चंडीगढ़, मोहाली एवं जालन्धर में सर्वेक्षण का काम हो चूका है| मोहाली एवं लुधियाना में टाउन वेंडिंग समिति का गठन हो चूका है|

ओड़िसा - ओड़िसा राज्य का नियमावली और स्कीम सबसे संवेदनशील है | और ओडिशा के महानगर निगमों भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला और बेरहामपुर ने आगे के कार्यान्वयन के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया है|

आंध्रप्रदेश – यद्दिपी स्ट्रीट वेंडर अधिनियम, 2014 के तहत नियम तैयार नहीं किए गए हैं, तथापि स्कीम को अधिसूचित किया गया है | आंध्र प्रदेश में, सभी शहर में टीवीसी का गठन किया गया है | सभी शहर में टीवीसी का गठन किया गया है | आंध्रप्रदेश के 15 जिलों विशाखापट्टनम, जीवीएमसी, कृष्णा, विजयवाड़ा, अनातापुर, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, विजयनगरम, कडप्पा, कुरनूल, गुंटूर, नेल्लूर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम्ब और चित्तूर में में सर्वेक्षण पूरा हो चूका है| इन जिलो में कुल 61,092 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की

गई है और 30,478 विक्रेताओं को पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं | विशाखापत्तनम पहले ही वेंडिंग और गैर-वेंडिंग क्षेत्र बना चुका है, एवं पूरी तरह से डिजिटल स्कीम बनाई है, जो भारत में अपनी तरह का पहला कदम है|

उत्तरप्रदेश - उत्तरप्रदेश में नियमावली एवं स्कीम दोनों अधिसूचित हो चूका है |मेरठ नगर निगम ने18 ,500 स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण पूरा किया जिसमें से 300 स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग का प्रमाण पत्र मिला है |नोएडा में, सेक्टर 18 में वेंडिंग जोन बनाकर नोएडा को व्यवस्थित किया गया है | मोरादाबाद नगर निगम ने मोरादाबाद में स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों के नियमन के लिए स्ट्रीट वेंडिंग नीति लागू की है | शहर में कुल8 , 500स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है |निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स के विभिन्न श्रेणियों से शुल्क लेने पर फैसला लिया है |मोरादाबाद नगर निगम में वेंडिंग और गैर वेंडिंग क्षेत्र बनाने पर भी काम कर रहे हैं | उत्तर प्रदेश में, बनारस, मेरठ, गाजियाबाद, मोरादाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और बरेली में टीवीसी बनाया गया है | बरेली में 6000 स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया गया है|

तेलंगाना– तेलंगाना में यद्दिपी स्ट्रीट वेंडर अधिनियम, 2014 के तहत नियम तैयार नहीं किए गए हैं, हालांकि स्कीम को अधिसूचित किया गया है | टाउन वेंडिंग समिति लगभग सभी महत्वपूर्ण नगर निकायों में गठित हैं, हालांकि बैठकों का आयोजन नहीं किया जा रहा है | दस जिलों - आदिलाबाद, निजाम्बद, मेडक, करीमनगर, खामम, हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगोंडा, मेहबूबनगर और वारंगल में सर्वेक्षण किया गया है | 36,076 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है और 17,788 पहचान पत्र दिए गए हैं |

तमिलनाडु - तमिलनाडु में, 2 नवंबर 2015 को नियमावली तैयार किए गए और 2 नवंबर 2015 को इस स्कीम को अधिसूचित किया गया था | 10 शहरों में टी वी सी का गठन हुआ, लेकिन टीवीसी में कोई नियमित बैठकें नहीं हुईं | कुछ नगर निकायों में टीवीसीएस का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ | **तीन शहरों त्रिची, मदुरै, और कोयम्बटूर में सर्वेक्षण कर पूरा किया गया है ,** लकिन केवल मदुरै और तिरुनावेली के दो शहरों में, पहचान पत्र जारी किए गए है|

कर्नाटक – कर्णाटक में **नियमावली** 13 मई 2016 को तैयार कर लिए गए थे, टीवीसी केवल मैसूर और मंगलौर में ही बनाई गई है | मैंगलोर ने एक वेंडिंग ज़ोन का निर्माण किया गया है जहां आधे वेंडर्स को को समायोजित किया गया है |स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र वितरण का कार्य प्रगति पर है| कर्नाटक में 50000 से अधिक आईडी कार्ड वितरित किए गए हैं|

दिल्ली- दिल्ली में, नियमों व स्कीम को 7 जनवरी 2016 को अधिसूचित किया गया था परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस स्कीम पर रोक लगा दिया| सर्वेक्षण केवल नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) क्षेत्र में ही किया गया है लेकिन यह लागू नहीं होगा क्योंकि यह स्ट्रीट वेंडर अधिनियम के अनुसार नहीं किया गया था| वेंडिंग जोन अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है या नहीं बनाया गया है|

दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एक के बाद एक बाजारों को उजड़ा जा रहा है| स्कीम को उच्च न्यायालय से रोक दिया गया, फिर भी स्ट्रीट वेंडर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ा है| आखिरकार उच्च न्यायालय ने उजाड़ने के खिलाफ रोक लगाया , लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया था कि पूर्व में घोषित कोई वेंडिंग ज़ोन लागु नहीं रहेगा | इस प्रकार दिल्ली में केवल एक नगरपालिका , एनडीएमसी ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया है और यह भी उच्च न्यायालय के आदेश लागु रहने के कारण कार्य नहीं कर रहा|

असम - राज्य सरकार ने स्कीम तो बनाई है लेकिन नियमों का गठन नहीं हुआ है | अब तक गुवाहाटी में बारह वेंडिंग ज़ोन बनाया गया है | केवल दो जिलों लखीमपुर और गुवाहाटी ने टीवीसीएस बनाये हैं | गुवाहाटी में

7100 स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया गया है। गुवाहाटी जिले में केवल 152 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र प्राप्त हुआ है।

चंडीगढ़ - चंडीगढ़ में, नियम और स्कीम बन चुकी हैं। सर्वे एक निजी एजेंसी द्वारा किया गया है। टीवीसी का गठन किया गया है लेकिन सक्रिय वेंडर्स नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है |

गुजरात - राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर 2016 को नियम अधिसूचित कर दिए हैं लेकिन अब तक कोई स्कीम नहीं बनाई गई है| वेंडिंग ज़ोन नहीं बनाया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा इसकी पहचान भी अभी नहीं की गई है | अब तक कोई टीवीसी भी नहीं बनाई गई है लेकिन बड़ौदा में टीवीसी के गठन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया है | 8 छोटे नगर निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया गया है |

हिमाचल प्रदेश - हिमाचल प्रदेश में, नियम और स्कीम बनाई गई हैं। सर्वेक्षण 10 शहरों में किया गया है। इन दस जिलों में वेंडिंग ज़ोन बनाया गया है। 294 आईडी कार्ड भी जारी किए गए हैं |

हरियाणा - हरियाणा में नियम और योजनाएं दोनों बनाई गई हैं। सभी नगर निकायों में टीवीसी का गठन किया गया है। सभी नगर निकायों का सर्वेक्षण किया गया है। गुरग्राम में वेंडिंग जोन बनाया गया है गुरुग्राम में आईडी कार्ड का वितरण प्रक्रिया के अधीन है

केरल - राज्य सरकार द्वारा स्कीम और नियमों दोनों का गठन किया गया है| टाउन वेंडिंग समिति का गठन नहीं किया गया है या न ही स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया गया है| सर्वेक्षण केवल पलक्कड़ जिले में पूरा हुआ। पलक्कड़ में आईडी कार्ड वितरित किए गए हैं | वेंडिंग जोन नहीं बनाए गए हैं |

महाराष्ट्र – नियमवाली 3 अगस्त 2016 को तैयार किए गए थे। लेकिन अभी तक कोई स्कीम नहीं बनाई गई है | टीवीसी का निर्माण केवल पुणे में हुआ है। लेकिन अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, हालांकि मुंबई में एक सर्वेक्षण किया गया था |

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू - कश्मीर और पश्चिम बंगाल में कोई नियम और स्कीम नहीं बनी हैं।

स्ट्रीट वेंडर लॉ और न्यायपालिका

रेहड़ी पटरी कानून 2014, 4.3.2014 को मानयता मिली और 1.5.2014, को लागु हुआ! कानून की धारा 33 के अनुसार पहले के सभी कानून के ऊपर इसके ओवर डिंग परभाव है! कानून के प्रथम सूचि के धारा 3(इ) पर्तिबंदित करता है! किसी भी क्षेत्र को वेंडिंग और गेर वेंडिंग जोन अथवा में प्रतिबंदित जो तबदीली करने से कानून के अनुसार 3 ये अनुदेश पारित करता है की मौजूद कोई भी हॉकर वेंडर को विस्थापित या निकाला नही किया जायेगा जब तक सर्वेक्षण जिसका ज़िक्र कानून में है के तहत न कर लिया जाये तथा वेंडिंग प्रमाण पत्र न दे दिया जाये स्ट्रीट वेंडर्स को यह साफ़ जाहिर होता है कि कानून के तहत सभी स्ट्रीट वेंडर्स का कानून का फायदा मिलना चाहिए! परशासन की और से कोई दावा या या कथन किसी क्षेत्र को गेर वेंडिंग ज़ोन जो पहले से था के आधार पर लागू करना निराधार एवं गलत है! यह दावा कि वेंडर्स गेर कानूनी है एवं उन्हें इस आधार पर हटाना गलत है एवं कानून के तहत स्वीकार्ये नहीं होगा !

दिल्ली उच्चन्यालय के खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया कि कोई भी वेंडर को कानून को उलंघन करके हटाया गया है उन्हें स्थापित किया जाये ! सर्वोच्च न्यायालय दुवारा जारी किये गए |

सिद्धान्त : पुराने स्कीम बनाम नया कानून तीन महत्वपूर्ण निर्णय-

सुधीर मदान अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य!(2009)

रेहड़ी पटरी कानून 2014 के पश्चात् कुछ न्याय और हाई कोर्ट द्धारा आदेश-

4.3.2014 को विधायिका दुवारा पारित कानून 1.05.2014 को लागू हुआ, जिसका पहले के सभी कानून पर ओवर डिंग प्रभाव है धारा ३३ के अनुसार :- किसी भी क्षेत्र को वेंडिंग और गेर वेंडिंग जोन अथवा में प्रतिबंदित जो तबदीली करने से कानून के अनुसार 3 ये अनुदेश पारित करता है की मौज़ूद कोई भी हॉकर वेंडर को विस्थापित या निकाला नही किया जायेगा जब तक सर्वेक्षण जिसका ज़िक्र कानून में है के तहत न कर लिया जाये तथा वेंडिंग प्रमाण पत्र न दे दिया जाये स्ट्रीट वेंडर्स को यह साफ़ जाहिर होता है कि कानून के तहत सभी स्ट्रीट वेंडर्स का कानून का फायदा मिलना चाहिए! परशासन की और से कोई दावा या या कथन किसी क्षेत्र को गेर वेंडिंग ज़ोन जो पहले से था के आधार पर लागू करना निराधार एवं गलत है! यह दावा कि वेंडर्स गेर कानूनी है एवं उन्हें इस आधार पर हटाना गलत है एवं कानून के तहत स्वीकार्ये नहीं होगा ! दिल्ली उच्चन्यालय के खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया कि कोई भी वेंडर को कानून को उलंघन करके हटाया गया है उन्हें स्थापित किया जाये !

डब्ल्यू पी (सी) 4303/2014 नासवी बनाम दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि जहाँ तक स्ट्रीट वेंडर्स का सवाल है, यह विषय पूरी तरह से 2014 के रेहड़ी पटरी कानून के तहत समाहित है ! स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकार एवं कर्तवय स्वछता तथा टाउन वेंडिंग कमिटी का ज़िक्र कानून में किया गया है ! इस कानून के अध्याय 8 में वेंडर्स को प्रताड़ना के खिलाफ बचाओ का अधिकार है! कानून कि धारा 3 के तहत सर्वक्षण तथा धारा 3(3) में यह अनुबंधित है कि किसी भी वेंडर को सर्वक्षण पूरा होने के पहले नही हटाया जा सकता! यह मान्य व्यवस्था है कि सर्वक्षण अभी नही पूरा हुआ है अतः कानून के धारा 3(3) के तहत किसी रेहड़ी वाले को हटाया नही जा सकता! स्ट्रीट वंडर्स कानून के धारा 33 के अनुसार अन्य कानून पर इसका ओवर डिंग प्रभाव है!

N W.P.(C) 8661/2014 नासवी बनाम दक्षणा दिल्ली नगर निगम एवं अन्य , दिल्ली उच्चन्यायालय के खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह जारी किया कि हमने पहले भी अपने निर्णय में ये आदेश दिया है कि अगर किसी रेहड़ी पटरी वाले को हटाया गया है तो उसे लौटने कि अनुमति है ! इसके बावजूद कुछ रेहड़ी पटरी वालो को हटाया गया है !याचिकाकर्ता के जानकार वकील ने ऐसे प्रमाण जो रेहड़ी पटरी के सामान जब्त किया गया अतः रेहड़ी वालो ने पहले भी दिसम्बर , 2014 याचिका दिया था!अपने सामान छुड़ाने /पाने हेतु !एक शपथ पत्र भी संल्गन किया गया अन्य दस्तविजो के साथ हमारे दुवारा पहले दिए गए निर्देश फिर से दोहरा रहे है ! इसकी अवेहलना को बहुत गंभीरता से लिया जायेगा !

L P A 136/2016 नई दिल्ली उच्च न्यायालय भोला राम पटेल बनाम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ए.ऐन . आर संधर्भ बंगला साहिब से रेहड़ी पटरी वालो को हटाना.!
निर्णय - टाउन वेंडिंग कमिटी २ माह ले अंदर सर्वक्षण करे सभी रेहड़ी पटरी वालो को सूचित कर ! रेहड़ी वालो को हटाया जा सकता है जो नियम " अंत में आएगा , पहले जायेगा ! के अनुसार नही पाया जायेगा !नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद् को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है हटाने , स्कीम एवं नियम बनाने हेतु !

WP 8042/2016, दिल्ली उच्च न्यायालय के खंड़पीठ ने अपने एक आदेश जो कि 9.9.2016 को जारी किया था उसमे सपष्ट किया था कि रेहड़ी पटरी वालो को निर्देश दिया गया था कि उनको हटाया नही जायेगा ! कानून का उल्लंघन करते हुए 28.9.2016, के जारी किये गए अह्योदेश उन क्षेत्रो पर लागू नही होगा जो गैर वेंडिंग जोन क्षेत्र म शामिल कानून पारित होने के पहले से !

बिहार राज्य फूटपाथ दूकानदार संघ बनाम बिहार राज्य - निर्देश नियम , स्किम , अधिनियम बनाना
गोकुल प्रसाद गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य - रेहड़ी वाले को संरक्षण प्राप्त तभी होगा अगर उन के पास सहायक दस्तावेज जो कि प्रमाणित करता हो कि वे 01/05/2014. के पहले से वह रहेड़ी लगा रहे हो ! अन्ये लोगो को हटाया तभी जायेगा अगर वह कानून एवम टाउन वेंडिंग संविधान के तहत हो , स्किम एवम नियम का रूप रेखा बनांने !
होनाजी हेमराज चौहान बनाम महारात्ष्ट्र राज्य -सिर्फ वो रेहड़ी पटरी वाले जिन्हें कानून से संरक्षण प्राप्त है बस उन्हें ही नगर निगम से संरक्षण प्राप्त होगा !
मसूद मेडेन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु एवेम अन्य राज्य सरकार को निर्देश दिया गया नियम एवं स्किम बनाने हेतु , जिससे कि रहेड़ी पटरी वालो को जल्द से जल्द संरक्षण प्राप्त हो सके ! सर्वेक्षण के पहले किसी को हटाया नही जा सकता ! याचिका करता अपना दूकान या उसके आकर को सर्वेक्षण तक बड़ा नही सकते !
ट्रेफिक रामास्वामी बनाम तमिलनाडु - राज्य को निर्देश दिया गया कि गेर हाकिंग क्षेत्र से सभी वेंडारो को हटाया जाये एवं गेर वेंडिंग जोन को बरकरार रखा जाये !
होनाजी हेमराज चौहान बनाम महारात्ष्ट्र राज्य सिर्फ वो रेहड़ी पटरी वाले जिन्हें कानून से संरक्षण प्राप्त है बस उन्हें ही नगर निगम से संरक्षण प्राप्त होगा !
टी नगर रेजिडेंट वेलफयर संध बनाम तमिलनाडु - राज्य रेहड़ी वालो को अन्य क्षेत्रो में स्थापित करना जिससे कि परिवहन में बधह न हो

द्वितीय अपील 1126/2014, तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट मुरुगन बनाम अन्ना मेमोरियल बीच , संधर्भ रेहड़ी वाले को हटाना ! निर्णय - समुद्री बीच के बालू पर फेरी का काम नही हो सकता ! कोई भी निजी व्यक्ति को उन्हें कंट्रोल करने या उनसे पैसा वसूलने का अधिकार नही होगा या उन्हें बीच पर रोजगार करने में सहायता प्रदान करेगा !
राजू भाई प्रभाकर राव नांदुकर बनाम वड़ोदरा नगर निगम - रेहड़ी पटरी वालो को उजाड़ने से प्रतिबंधित करना तब तक नियम न बन जाये !

टाउन वेंडिंग कमेटी का कार्यान्वयन प्रावधान /

<u>शहरों और नगरो में टीवीसी की आवश्यकता</u>

- शहरों को किसी एक विशेष समूह के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसका निर्माण समावेशी एवं सभी के लिए होना चाहिए |
- अधिकृत विक्रेता रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे |
- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्रिस लम्बे ने कहा कि " मनुष्य हमेशा सामान कि खरीदारी निकटतम स्थान से ही करता है जो सामान कि पेशकस करता है, और जब भी एक निश्चित मात्रा में मांग की जाती है, तो यह आबादी के करीब निकटता में उपलब्ध किया जाएगा।"
- वेंडर का कम-आय वाले समूह के साथ सीधे संबंध होता है |
- व्यावहारिक जानकारी उत्पन्न करने के लिए, जो नीति निर्माताओं को सूचित करेगी ताकि वे सड़क की वेंडिंग की गतिशीलता को समझ सकें।
- स्थानीय विकास बिशेषज्ञों को भी स्ट्रीट वेंडिंग की समस्या के प्रबंधन में बेहतर जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही नीतिगत शुन्यता की पहचान की जाएगी|
- वेंडिंग जोन के गठन और वेंडर्स को एक सामाजिक दर्जा देने से शहर को बेहतर स्थान बनाने में मदद मिलेगी।

स्ट्रीट वेंडर कानून - 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का प्रावधान है जो स्ट्रीट वेंडर्स से सम्बंधित मुद्दे पर गौर करेगा| प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार के तहत एक टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) का गठन किया जायेगा, यदि जरूरत है तो स्थानीय प्राधिकारी के तहत प्रत्येक वार्ड या ज़ोन स्तर पर भी गठित किया जायेगा|

स्ट्रीट वेंडर कानून - 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी एक त्रि-पक्षीय परिषद् नहीं वल्कि एक बहु-हितभागी समिति है| प्रत्येक टाउन वेंडिंग कमेटी, नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी, एवं अन्य सदस्यों की उतनी ही संख्या से मिलकर बनेगी, जिसका निर्धारित कानून अंतर्गत किया गया है| राज्य सरकार द्वारा नामांकित, स्थानीय प्राधिकार का प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकार के चिकित्सा अधिकारी, स्कीम प्राधिकरण, यातायात पुलिस, पुलिस, स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधि , बाजार संगठनों, व्यापारियों संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, निवासी कल्याण संघों , बैंकों और इस तरह के अन्य हितभागी जो उचित हो|

1. Vkmu osafMx dfeVh izR;sd vius vf/kdkj {ks= esa izR;sd ikap lky esa LVªhV os.MlZ dk ,d ckj losZ{k.k djsxk A
2. dqy okMZ ;k {ks= ;k 'kgj dh vkcknh dk 2-5 izfr'kr tula[;k dks Qsjh djus gsrq Qsjh {ks= esa LFkku feysxk ,oa tc rd losZ{k.k dk dk;Z [kRe ugha gks tkrk mUgs muds LFkku ls u iquZLFkkfir fd;k tk;sxk ;k csn[ky fd;k tk ldsxkA

3. dksbZ Hkh ftldh vk;q 14 o"kZ iwjh gks pqdh gS Vkmu osafMx dfeVh }kjk mls osafMx gsrq izek.k i= fuxZr fd;k tk ldrk gSA
4. प्रमाण पत्र के प्राप्ति के पूर्व प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को एक वचन पत्र टाउन वेंडिंग कमिटी को देना होगा कि वह अपने आप को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से सड़क के कारोबार को जारी रखेगाA
5. Vkmu osafMx dfeVh fdlh Hkh os.MlZ dk Qsjh izek.k i= fujLr ;k LFkfxr dj ldrk gS ;fn dksbZ os.MlZ fu;e mYya/ku vkSj fo/ks;d esa of.kZr fu;e dks ugha ekurk gSA
6. izR;sd LVªhV os.MlZ dks Qsjh gsrq izek.k i= fuxZr fd;k tk;sxk ,oa Qsjh 'kqYd ds uohuhdj.k gsrq 'kqYd dk Hkqxrku djuk gksxkA
7. LVªhV os.MlZ dh e`R;q gksus ij Qsjh izek.k i= mlds thoulkFkh ;k muds vkfJr ds cPpsa dks LFkkukrafjr fd;k tk ldrk A
8. Vkmu osafMx dfeVh }kjk izR;sd LVªhV os.MlZ Qsjh izek.k i= tkjh fd;k tk;sxk lkFk gh igpku i= Hkh fn;k tk;sxkA
9. osafMx 'kqYd lHkh mu LVªhV os.MlZ dks nsuk gksxk ftudks fd oS?k Qsjh izek.k i= fu/kkZfjr vof/k rd tkjh fd;k x;k gSA ;g izek.k i= dk uohuhdj.k Hkqxrku 'kqYd jkf'k tek djus ij gh gksxkA
10. vlarq"V LVªhV os.MlZ dks vf/kdkj gS fd muds ekeys ds fu"iknu ds igys LFkkuh; izkf/kdkj ds le{k muds ekeys dks j[kk lquk tk;sxkA
11. izR;sd LVªhV os.MlZ dks Qsjh {ks= ,oa blds vklikl dh lQkbZ] tu LokLF;] ukxfjd lqfo/kk,a ,oa lkoZtfud lEifr dk /;ku j[kuk gksxk ,oa le;≤ ij fn;s tkus okys lq[k lqfo/kk dk /;ku j[kuk gksxkA
12. u, LFkku ij clkus] csn[ky djus vkSj lkeku dks tCr djus dh izfØ;k fu/kkZfjr dh xbZ gSA ;g izLrkfor gS fd Vhohlh dh flQkfj'k dh vko';drk 'krZ ij gh LFkkuh; izkf/kdj.k }kjk ;g dkjZokbZ dh tk,xhA
13. Qsjh izek.k i= tkjh gksus ds ckn 30 fnu iwoZ lwpuk fn;s cxSj fdlh Hkh os.MlZ dks muds LFkku ls LFkkukraj.k ;k gVk;k ugha tk ldrk |
14. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी वेंडर्स के सामानों कि जब्ती कि जाती है तो उसका जब्ती रशीद, जब्ती करने वाले अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर के साथ वेंडर्स को देना होगा एवं दो कार्य दिवस के अन्दर जब्त सामान को निमुक्त किया जायेगा परन्तु जो सामान ख़राब होने वाले है उसको उसी दिन निमुक्त किया जायेगा |
15. LVªhV os.MlZ ds dh f'kdk;rksa dk xSj&i{kikr <ax ls fuiVku djus ds fy, ;k fdlh fookn fuiVku ds fy, Vkmu osafMx dfeVh flfoy tt dh v/;{krk esa ,d U;kf;d n.Mkf/kdkjh ,oa nks vU; U;k; laca/kh dk dfeVh cuk;k tk ldrk gSA ijarq dksbZ Hkh ljdkjh lsod ;k LFkkuh; izkf/kdkj ds lnL; dks dfeVh dk lnL; ugha cuk;k tk ldrk gSA

16. izR;sd 5 o"kZ ij Vkmu osafMx dfeVh ds vuq'kalk ij LFkkuh; izkf/kdkj vuqlwph 1 ds rgr os.MIZ ds fufgr vf/kdkj ds ;kstuk gsrq ,d dfeVh cuk ldrh gSA
17. izR;sd tksu ;k okMZ esa ,d Vkmu osafMx dfeVh gksxk] izR;sd Vkmu osafMx dfeVh uxj vk;qDr ;k eq[; dk;Zikyd inkf/kdkjh dh v/;{krk esa cusxkA
18. Vkmu osafMx dfeVh eas Lo;a Isoh laxBuksa ,oa lkeqnkf;d vk?kkfjr laxBu ls 10 izfr'kr ls T;knk InL; ugha gksxs ,oa 40 izfr'kr InL; pquko ds tfj, LVªhV osa.Mjksa esa ls gh gksaxsA ftudk p;u LVªhV osa.Mj [kqn gh djsxsA
19. Vkmu osafMx dfeVh esa ,d frgkbZ InL; os.MIZ gksxs ftuesa fd efgyk os.MIZ] vuqlwfpr tkfr] tutkfr] fiNM+k oxZ] vYila[;d ,o fu'kDr 'kkkfey gSA
20. किसी भी अन्य कानून में ससमय लागू होने के बावजूद भी कोई भी ,वेंडर जो स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को अपने वेंडिंग के प्रमाण पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार पालन करता है, तो किसी भी व्यक्ति या पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी भी अन्य ससमय कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता |

Vkmu osafMx dfeVh ds v/;{k ,oa InL;ksa dh Hkwfedk&

2014 अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त सरकार अधिनियम की धारा 36 के तहत संबंधित राज्य के लिए नियमावली निर्माण करेगी एवं प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन एवं कार्य को तैयार किए गए नियमों के आधार पर प्रदान कर सकती है। अलग अलग राज्यों में भूमिका बदल भी सकती है | जो नीचे दिया गया वह एक सामान्य सारांश व टाउन वेंडिंग समिति में शामिल विभिन्न सरकारी अधिकारी की भूमिकाओं का संकेत जो पूरे भारत में उभर रहे हैं |

v/;{k ¼vk;qDr@ dk;Zikyd inkf/kdkjh½

- Vkmu osafMx dehVh ¼TVC½ dh cSBd cqykuk
- lHkh fgrHkkfx;ksa ds chp leUo; LFkkfir djuk ,oa TVC ds vU; InL;ksa ds lkFk feydj ¼fo"ks'kr% QqVikFk nqdkunkj InL;ksa½ cSBd dk ,tsaUMk cukuk] forfjr djuk ,oa mls laKku eas ysukA
- cSBd esa ppkZ esa yk;s x;s eqn~ns] fy;s x;s fu.kZ; dh izfr lHkh InL;ksa rd igq¡pokuk lqfuf'pr djuk lkFk gh ftyk vf/kdkjh dks cSBd ls voxr djokuk] fo'ks"kr% osafMx ,oa xSj osafMx {ks=ksa dks vafre :Ik nsus esaA
- QqVikFk nqdkunkj izfrfuf/k ds lkFk feydj Vkmu osafMx dehVh ds [kkrk dk lapkyu djukA

lhVh eSustj@jktLo inkf/kdkjh

- Vkmu osafMx dehVh ¼TVC½ ds cSBd ds lQy lapkyu esa vk;qDr@dk;Zikyd inkf/kdkjh dks lg;ksx djuk ;k muds }kjk funsZf'kr dk;ksZa dk laiknu djukA
- QqVikFk nqdkunkjksa ls losZ{k.k ¼ok;kseSfVªd½ ij utj j[kuk ;k vius usr`Ro esa laikfnr djokuk o lR;kfir djuk ;k djokukA
- QqVikFk nqdkunkjksa o TVC ls lacaf/kr lHkh rjg ds vfHkys[kksa dks j[kuk
- QqVikFk nqdkunkjksa dk ifjp;&i= o fuca/ku@iathdj.k izek.k&i= tkjh cukokuk o djokuk

flfoy ltZu ¼'kY; fpfdRld inkf/kdkjh@ fpfdRlk inkf/kdkjh½

- ljdkj ds fofHkUu LokLF; o LoPNrk dk;ZØe ds lanHkZ esa tkx:drk QSykuk ¼bl dk;Z esa Vkmu yscy QsMjs'ku] TVC ,oa vU; LVªhV osaMlZ laxBu ;k izfrfuf/k;ksa dh enn yh tk ldrh gSA½
- [kk| inkFkZ foØh djus okys QqVikFk nqdkunkjksa dks FSSAI ¼Hkkjrh; [kk| lqj{kk ,oa ekud ekinUM½ ds varxZRk iathdj.k o izf'k{k.k dh O;oLFkk djuk ;k djokukA

ftyk ;kstuk inkf/kdkjh@uxj fudk; vfHk;ark

- QqVikFk nqdkunkjksa ds losZ{k.k dh ;kstuk cukuk] osafMx o xSj&osafMx {ks=ksa dh igpku dj mldk ewY;kadu@;kstuk cukuk fofHkUu foHkkxksa ds lkFk ¼;Fkk ftyk iz'kklu] PWD, CPWD, Hkwfedk lq/kkj] iqy fuekZ.k] fuxe foHkkx bR;kfn ds lkFk½ leUo; cukuk
- vko';drkuqlkj vukifÙk izek.k&i= ysdj osafMx tksu dk fuekZ.k djokukA
- osafMx tksu esa lkekU; U;wure ewyHkwr vko';drkvksa ¼fctyh] ikuh] 'kkSpky;½ dh O;oLFkk djuk
- osafMx tksu dh QqVikFk nqdkunkjksa dks Lofu;e gsrq cSBd djuk ;k vko';ekuqlkj fu;ekoyh cukukA

iqfyl vf/k{kd@ euksfur inkf/kdkjh

- Vkmu osafMx dehVh esa iqfyl iz'kklu dh vge Hkwfedk gSA dkuwu O;oLFkk ,oa ;krk;kr ds lQy lapkyu dh ftEesokjh iqfyl iz'kklu dh gksrh gS\&
- ;krk;kr o osafMx ds chp leUo; LFkkfir djuk
- vR;f/kd ncko okys {ks=ksa esa le;@fnu ds fglkc ls csafMx dks vuqefr iznku djuk
- ;krk;r lapkyu o tkx:drk dk;ZØeksa esa Vkmu yscy QsMjs'ku o LVªhV osaMlZ ;wfu;u dks 'kkfey djuk o mudh enn ysukA

vxz.kh cSad izfrfuf/k

orZeku vkfFkZd ,oa lkekftd fodkl esa cSadksa dh Hkwfedk jh<+ dh gM~Mh dh leku gSA

- QqVikFk nqdkunkjksa dks cSadksa esa [kkrk [kksyuk
- QqVikFk nqdkunkjksa dks vkthfodk c<+kus o lapkyu gsrq _.k miyC/k djokuk
- ljdkj ds fofHkUu ;kstukvksa ds ek/;e ls vkfFkZd lEcyrk iznku djuk fo'ks"krk iz/kkuea=h eqnzk ;sktuk A
- iz/kkuea=h lkekftd lqj{kk ;kstuk ds tqM+ko gsrq izksRlkfgr djukA
- fofÙk; lekos'ku gsrq dSEi ;k izf'k{k.k dh O;oLFkk djukA

psEcj vkWQ dkWelZ izfrfuf/k

- Hkkjr esa O;olkf;d {ks=ksa esa psEclZ vkWQ dkWelZ ,d vR;ar gh izfrf"Br la?k gSA ;g la?k fdlh O;olk; o O;olkf;d dh fofHkUu rjhdksa ls lqj{kk o lg;ksx iznku djrk gSA
- ;g Vkmu osafMx dehVh esa LVªhV osaMjksa ds laj{k.k] muds O;olk; dks vkWipkfjd :i nsus ,oa fpfUgr djus esa vge Hkwfedk fuHkk ldrk gSA;g LVªhV osaMjksa ds izfrdqy mBus okys dk;ksZa esa viuk gLrk{ksi dj ldrk gSA
- LVªhV osaMjksa ds O;olk; dks c<+kus gsrq _.k ;kstuk] lqj{kk ;kstuk cukdj ljdkj dks Hkst ldrk gSA ;g ljdkj ,oa LVªhV osaMlZ ds chp ,d egRoiw.kZ dM+h gks ldrk gSA

Lkkeqnkf;d laxBu o xSj ljdkjh laxBuksa (NGOs) ds izfrfuf/k&

ये valxfBr {ks= esa dk;Zjr Jfedksa] o lsok iznk;dksa ds csgrj thou ;kiu gsrq ljdkj o uhfr fuekZrkvksa ds lkFk odkyr dk dke djrk gSA blds Hkwfedk fuEu :iksa esa gks ldrh gS&

- QqVikFk nqdkunkjksa dks laxfBr djuk] mUgsa ekdsZV dehVh@'kgj Lrjh; Lka?k ls tksM+uk
- ekdsZV dehVh@'kgj Lrjh; Lka?k ls tksM+uk
- ekdsZV dehVh@ 'kgj Lrjh; la?k dks izf'k{k.k iznku djuk
- QqVikFk nqdkunkjksa ds csgrj fpfdRlk O;oLFkk] is'ku o vU; lkekftd lqj{kk dk;ZØeksa esa ljdkj o laxBuksa ds chp dM+h dk dk;Z
- QqVikFk nqdkunkj laxBuksa dks jkT; o jk"Vª Lrj ij eap iznku djukA
- lkeqnkf;d laxBu o xSj ljdkjh laxBuksa ds izfrfuf/k uxj fudk;ksa] QqVikFk nqdkunkjksa ,oa vke turk ds chp ljyhdj.k (Facilitation) dk dk;Z dj ldrs gSaA vke ukxfjdksa dks muds nkf;Ro ds izfr tkx:d djus@crkus] QqVikFk nqdkunkjksa dks drZO; cks/k djokus ,oa

muds vkthfodk dks lqjf{kr djus] c<+kok nsus laca/kh lqj{kk uxj fudk; o ljdkj rd igqa¡pk;sA

LVªhV os.MlZ izfrfuf/k@Vkmu ysoy QsMjs'ku ds izfrfuf/k%&

Vkmu osafMx dehVh esa QqVikFk nqdkunkj izfrfuf/k dh Hkwfedk vR;ar gh egRoiw.kZ gSA ;g fofnr gS fd TVC dk xBu QqVikFk nqdkunkjksa ds fu;eu ,oa muds dY;k.k ds fy, gqvk gSA fQj Hkh QqVikFk nqdkunkjksa izfrfuf/k;ksa dks TVC dh cSBd] ppkZ fd;s tkus okys eqn~ns] fy;s x;s fu.kZ; ij pkSdUuk jgus dh t:jr gSA lkekU;r% ;g ns[kuk tkrk gS fd & ojh; inkf/kdkfj;ksa ds le{k nqdkunkj viuh ckrksa dks lgtrk iwoZd ugha j[k ikrs] ;k j[kus dk ekSdk ugha fudky ikrsA vr% bUgsa cgqr gh l'kDr gksus dh vko';drk gS&

- TVC ds vU; lnL; o laxBuksa ds lkFk csgrj rkyesy
- 'kgj ds fo"k; esa foLr`r tkudkjh] fo'ks"kr% ftl LFkku ij oasfMax gks jgh gS] og tehu fdlh gS] fdrus osaMlZ dh O;oLFkk gks ldrh gS] oasMlZ dh pqukSfr;ka D;k gS ;k D;k gks ldrh gSA
- laokn 'kSyh lgt] ljy o rkfdZd gksA
- cSBd esa vkus ds iwoZ ,tsaMk ij vius vU; lnL;ksa ¼ekdsZV@la?k½ ls fopkj foe'kZ dj ds vk;sA
- lfefr dks osaMlZ vFkok osafMx {ks= ds fo"k; esa ,slh tkudkjh ns ftlls fu.kZ; ysus esa lqfo/kk gksA
- uxj fudk; dh osaMlZ ds lR;kiu] ifjp;&i= forj.k ;k vU; dk;ksaZ esa lg;ksx djsaA
- fdlh xyr O;fDr dk losZ{k.k u gks ;k ifjp;&i= u feys] bldk /;ku j[kuk A
- cSBd dh dk;Zokgh ls vius la?k@ekdsZV dks voxr djokukA

टाउन वेंडिंग समिति का गठन

नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद, अगले चरण में टाउन वेंडिंग समिति का गठन नियमों के अनुसार होता है | टाउन वेंडिंग समिति के गठन के बारे में सवाल रखने वाले लोगों को टीवीसी के गठन के लिए प्रक्रियाओं के बारे में नियमों पर चर्चा करना चाहिए | एक बड़ी समस्या यह उठती है कि किस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों को किस तरीके से शामिल करना है जिन्हें चुना जाना है न कि नामांकित किया जाना है | राज्यों ने कोई मानक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई| यहाँ हम राजस्थान के जोधपुर का उदाहरण दे रहे है -

जोधपुर शहर में, एडीएम सिटी (द्वितीय) ने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 22 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन की शुरुआत की। एडीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करने वाले संगठनों के बारे में पूछताछ करने वाले बाजारों का दौरा किया | पहले चरण में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करने वाले विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को उन सभी विक्रेताओं की सूची जिसमे उनके नाम, पता, लिंग, वेंडिंग के प्रकार तैयार करने के लिए कहा गया था जो उनके संगठन के सदस्यों बताते थे। वैसे वेंडर्स जो किसी भी संगठन से नहीं जुड़े

थे उनसे सीधे अपने विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया था | इस प्रक्रिया के अंत में लगभग 400 विक्रेताओं की पहचान की गई थी।

सभी स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों को आमंत्रित किया एवं टीवीसी के लिए सदस्यों को नामित करने के लिए कहा गया | वेंडर संगठनों ने 12 लोग आगामी टीवीसी के सदस्य के लिए नामित किए | एडीएम ने टीवीसी के गठन की प्रक्रिया उदेश्य और मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के बारे में चर्चा करने के लिए को सभी के साथ एक बैठक का आयोजन किया | 2 लोग आखिरी क्षण में अपना नामांकन वापस ले लिया | सत्यापन प्रक्रिया के बाद एडीएम द्वारा सभी 10 उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया | सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया कि कि नामांकित सदस्य का नाम सर्वेक्षण सूची पर मौजूद है या नहीं , और यह नगर प्राधिकरण और पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सत्यापन व स्पष्ट किया गया।

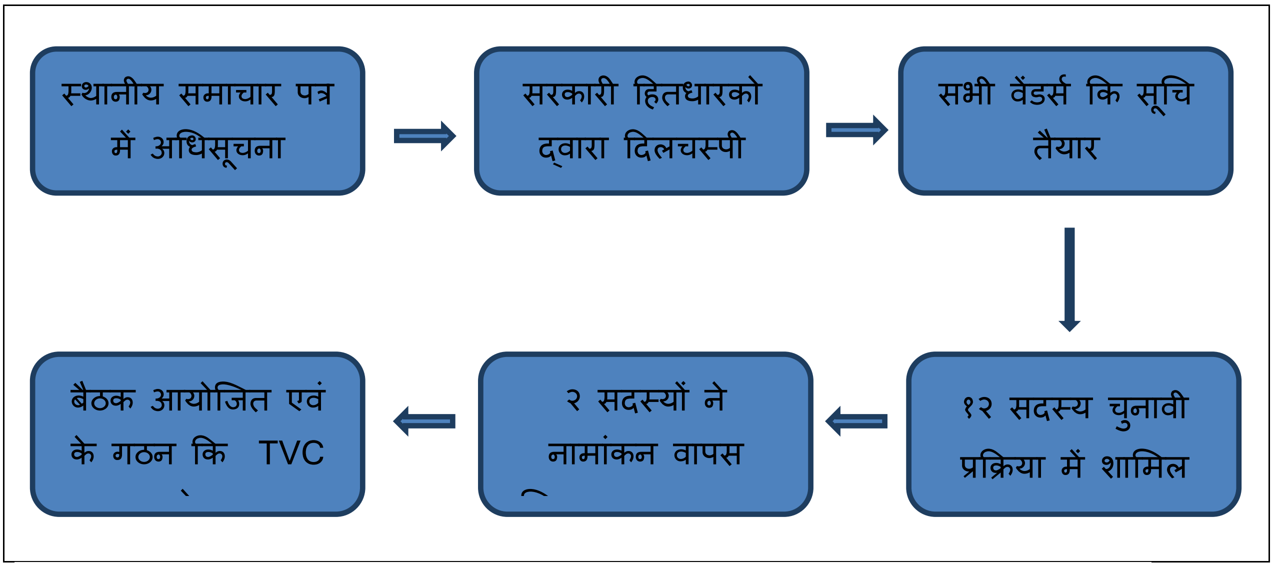

18/04/2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक अधिसूचना में कहा गया है कि जोधपुर शहर में एक नगर वेंडिंग कमेटी की स्थापना की जानी है, जहां स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों के अलावा, ट्रेड यूनियनों, आरडब्ल्यूए और एनजीओ के 2 सदस्यों को टीवीसी के लिए भी चुना जाएगा | इच्छुक सदस्य TVC के लिए अपने नामों को नामित कर सकते हैं, दिनांक 29/04/2016 तक वापस लिया जा सकता है| अंतिम रूप से नामित उम्मीदवारों को अपनी निर्दोषता और स्ट्रीट वेंडर्स संगठन के साथ सदस्यता के बारे में स्व-घोषणा प्रस्तुत करना होगा| इसके बाद मतदान होगा और केवल वेंडरों को वोट देने का हकदार होगा।

2 मई 2016 को, टीवीसी सदस्यों को टीवीसी के लिए चुना गया और 5 मई 2016 को चयनित सदस्यों को चुनावी पहचान पत्र प्रदान किया गया, और 11 मई 2016 को टीवीसी की सूची बनाई गई । टीवीसी को अंततः जोधपुर शहर में विभिन्न हितधारकों की सदस्यता के साथ बनाया गया |

टी.वी.सी. के गठन के बाद नागरिकों और वेंडर्स को सन्देश व सुचना देने के लिए शहर में एक प्रदर्शन किया गया| चुनाव की पूरी प्रक्रिया 2 मई 2016 तक पूरी हो गई और 11 मई 2016 को टीवीसी का गठन किया गया |

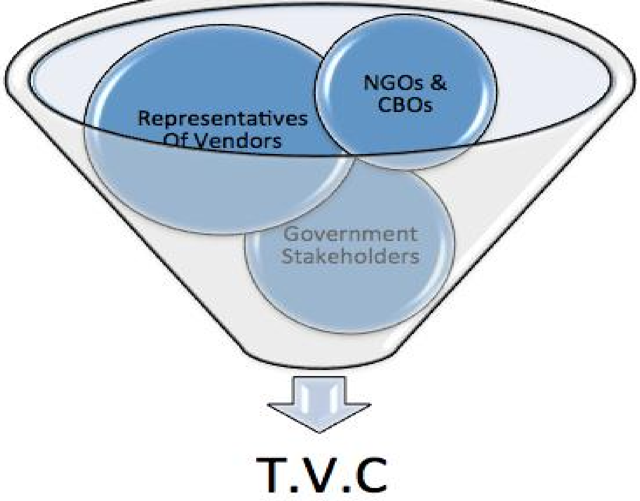

स्ट्रीट वेंडर्स- कौशल विकास

समय बदलता है- समाज एवं अर्थव्यस्था हरकदम एक जैसा नही रहता है | वैश्वीकरण एवं उदार नीति का हम सब पर बहुत प्रभाव है | ग्राहक का व्यवहार भी बदलाव की और है और होना भी चहिये | स्ट्रीट वेंडर्स से हमेशा ग्राहकों को आकर्षित किया है चाहे जितना भी प्रयास किया गया हो की स्ट्रीट वेंडर्स को दूर रखा जाये | जब बहुमंजिले वाला मॉल बन रहे थे तो इस खा जा रहा था कि वेंडर्स गायब हो जायेगे पर वेंडरों से ऐसे गलत साबित कर दिया | बहुत लोगो का यंहा मनना था कि फ़ूड सेफ्टी एक्ट वेंडरो के खिलाफ है और उनके काम को प्रभावित करेगा पर इस नही है फ़ूड वेंडर स्वयं पंजीकृत होना चाह रहे है | विमुद्रीकरण के दौर में कुछ वेंडर बहुत उत्साहित होकर डिजिटिलिकरण की ऒर अग्रसर हो रहे है | नासवी जो कि एक जिमेदार संगठन जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमेशा प्रयास किया है हर तरह से उसके कोशल को बढ़ाने का ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके | बदलाव कि इस दौर में ये असंगठित वर्ग पीछे न रहे जाये नासवी इसको लेकर हमेसा सक्रिय रहा है |

स्ट्रीट वेंडर्स को पूर्णतः कुशल बनाने के लिए सपने को सकारने के लिए नासवी ने कई अहम् कदम उठाये जिसमे फ़ूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा एवं सफाई का परीक्षण देना सामिल है | नासवी ने स्ट्रीट फ़ूड फेस्टिवल का आयोजन करना शुरू किया और इसकी लोकप्रियता प्रतिवर्ष बढ़ती गई और यह शहर का एक अहम् हिस्सा बन गया है | इसकी एक पहचान बन गए है | इस फेस्टिवल के माध्यम से हम फ़ूड वेंडर्स को सफाई के साथ व्यावसायिकता का प्रशिक्षण भी देते है | यह एक सफल वकालत के रूप में उभर कर आया है | २०१४ के फ़ूड फेस्टिवल से पर्यटन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया और उसी वर्ष मंत्रालय ने फ़ूड वेंडर्स के लिए स्पेशल छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमे फ़ूड वेंडर्स को प्रशिक्षण के साथ 1800 रूपये का वितीय सहयोग प्राप्त हो रहा था | देश के 42 केंद्रों पर तक़रीबन 10 000 फ़ूड वेंडरो को प्रशिक्षण मिला |

स्ट्रीट फ़ूड फेस्टिवल से कौशल विकास एवं उद्यमिता (entrepreneurship) मंत्रालय का धयान भी आकृष्ट किया | FSSAI ने 13 मार्च 2016 को क्लीन स्ट्रीट फ़ूड प्रोजेक्ट चालू हो गया | दिल्ली के 23325 फ़ूड वेंडर्स को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ | प्रशिक्षण मूलतः ब्यक्तिगत सफाई, ठेलों कि सफाई, कचरा निष्पादन एवं ब्याव्सायकि विकास पर प्रशिक्षित किया जाता है | यह प्रशिक्षण भारत के अन्य राज्यों में भी शुरू करने कि प्रक्रिया जारी है | हाल ही में FSSAI ने एक बहुत ही व्यावहारिक ऒर वैज्ञानिक प्रशिक्षण मोडुले तैयार किया है और मास्टर प्रशिक्षक बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे है |

दिसम्बर 2016 में कानपूर के 500 फ़ूड वेंडर्स को प्रशिक्षित किया गया | वाराणसी में प्रशिक्षण जारी है | गोवा में 1027 स्ट्रीट फ़ूड वेंडर्स को प्रशिक्षित किया गया और बचे हुए फ़ूड वेंडरों को प्रशिक्षण देना बाकि है | प्रशिक्षित फ़ूड वेंडरो के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु सभी को स्ट्रीट साथी ऐप से जोड़ा जा रहा है |

विमुद्रीकरण के दौर में नासवी वेंडरो को डिजिटलीकरण का प्रयास भी कई एजेंसियों के साथ मिलकर कर रही है | कौशल विकास कि जरूरत नासवी भलीभांति समझती है और ऐसा कोई भी अवसर नहीं खोना चाहती जो वेंडरों के फायदे में हो पर कौशल विकास के समक्ष अचूक प्रश्न है |

- व्यवहार बदलना आसान नही होता है - प्रशिक्षण के असर को कैसे बरकरार रखा जाये
- वर्तमान प्रशिक्षण डिजाइन और वितरण में बाधाएं क्या हैं
- फ़ूड वेंडर्स के अलावा बाकि वेंडर्स को कैसे प्रशिक्षित किया जाये उनके कौशल विकास कि जरूरत है
- कैसे डिजिटल साक्षरता स्ट्रीट वेंडर्स तक प्रभावी ढंग से लाया जा सकता है और इसमें बाधाएं क्या हैं

संगठन और स्थायीत्व

स्ट्रीट वेंडर्स ने खुद को "नियमित" करने के लिए संगठनों का निर्माण किया|जरूरत के समय में आयोजित या संगठित करना एक लम्बा समय लेता रहा है| नासवी ने नियमित रूप से संगठित करने के लिए एक वातावरण बनाया और शहर स्तर पर मजबूत और सूचित)सुदृढ़ (नेतृत्व के विकाश पर ध्यान केंद्रित के रूप में, से अधिक 600 संगठनों को पुरे भारत में विकसित किया गया है| पहले एक रास्ट्रीय नीति की मांग की और उसके लागू होने पर जोर दिया उसके बाद एक कानून की मांग की और इसे जमीनों स्तर पर लागू करने के लिए संगठनों ने अपने भूमिका की | पुरे भारत में कई सड़क विक्रेता नेताओ ने कमान संभाली एव विभिन्न तकनीको एवं उपकारणों का उपयोग कर अपनी परिपक्वता दिखाई और सभी फूटपाथ विक्रेताऔ को कार्य में नियोजित कर जागरूक किया नसवी ने|एक अच्छे संगठनों के लिए दस सिद्धान्तों को बढावा दिया |

<u>InL; laxBuksa ds fy, 10 ewy fl)kar</u>

1. laxBu iathd`r gks rFkk laxBu dk usr`RodrkZ dk pquko iztkraf=d <ax ls gksA
2. fu.kZ; fuekZ.k dh izfdz;k esa lnL;ksa dh lgHkkfxrk gksA
3. lgh <ax ls Nis gq, jlhn tkjh fd;s tkus pkfg,] tc lnL; laxBu ls dksbZ 'kqYd ;k ;ksxnku ys jgs gSA
4. iSls laxBu ds cSad esa tek gks] [kpsZa dk ys[kk O;ofLFkr rFkk izR;sd o"kZ ys[kk&vads{k.k gksuk pkfg,A
5. izR;sd o"kZ laxBu dh lkekU; okf"kZd cSBd gksA
6. ljdkjh izkf/kdj.k dks okf"kZd izfrosnu tek djuk pkfg,
7. mHkjrs gq, usr`Ro dks volj iznku djuk pkfg,A
8. laxBu es 33 izfr'kr efgykvksa dh Hkkxhnkjh lqfuf'pr gksA
9. fofHkUu rjg ds vfHkys[k@dk;Zokgh iqfLrdk@U;k;ky;ksa ds QSlys@i=kpkj bR;kfn lgh <ax ls O;ofLFkr j[ks tk;sA
10. Hkz"V o vijkf/kd pfj= okys O;fDr dks vius laxBu es izos'k ugah djus nsuk pkfg,A

हालाँकि संगठति होने में वित्तिय स्थिरता की समस्या हमेशा से रही है| स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों द्धारा वित्तिय संसाधन जुटाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जा रहे है | सदस्यता शुल्क लेना काफी समय से किया गया तरीका है परन्तु पैसे के अलावा सदस्या शुल्क के अन्य भूमिकाय भी है | इस सत्र में अन्य तरीको खोजने पर प्रयास किया जायेगा | सहकारिता एक एक विकल्प है |

स्ट्रीट वेंडर्स एव अन्य अनोपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओ के आर्थिक एव सामाजिक सेवाओ में शामिल करने में वचत ऋण सहकारी समिति बढावा देने ही मददगार होगा|
अनोपरिरक क्षेत्र में ऋण और बीमा सम्बंधित वितीय सेवाओ पहुचने के लिए बचत, ऋण एव सहकारी समिति को बदावा देने से ही संभव होगा |

अब यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया तथ्य है की सहकारी वितीय सेवाऔ के विस्तार से ही बहिस्कृत समुदाय को वितीय सहयता सही से प्राप्त हो सकती है| बैंक लघु उधमियों एव कम आमदनी वाले लोगो को ऋण देने में संकोच करते है | इस प्रकार कम आमदनी वाले लोग बैंको में ऋण के लिए नहीं जाते है | भारत में सूक्ष्म वित् में तेजी आयी और ऐसे लोगो का आस बढ़ा परन्तु आन्ध्रा संकट एव अन्य बेंको के द्धारा क्रमिक वापसी के बाद टूट गया | यह फिर से सक्रिय हो रहा है परन्तु इसकी पहुच सिमित है| प्रवासी मजदूरो के पास उचित पहचान नहीं होने के करण के वाई सी के लिए सम्बंधित दस्तावजो की जरूरत है|

उचित वितीय प्रबधन या बचत संगठन के अभाव में लोग चित फण्ड जैसी कंपनीयो के चंगुल में फस कर अपनी मेहनत की कमी लुटा देते है |जैसा की असंगठित मजदुर संगठित नहीं होते है उन्हें सही वितीय संसथान के बारे में जागरूक करना बहुत मुश्किल है.|
 इसी प्रकार की जटिलताएं बीमा में हो रही है |जब बीमित राशी के भुगतान बात होती है बीमा का लाभ वास्तविक जरुरमंदों को नहीं पहुच रहा है|

सरकारी या निजी बीमा कंपनियो में से कोई भी हो आमतौर पर बीमा पालिसीओ के कठिन नियम और शर्त है | समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा स्कीम एक अच्छा विकल्प हो सकता है| इसे समुदाय द्धारा ही चलाया जाता है.|

उपयुक्त मुद्रो का समाधान बाहर खोजने से अच्छा है अन्दर ही खोजने जाया| वर्तमान में रास्ट्रीय स्तर पर सहकारी पंजीकरण करना बहुत मुश्किल हो गया है| विभिन्न रज्यो में विभिन्न सहकारी कानून एव प्रक्रिया है |सहकारी सेवा के निम्न सेवाये है -:

बचत	**देनिक साप्ताहिक एव मासिक**
ऋण	कार्य पूंजी, स्वास्थ्य, विवाह , घर
फिक्सड डिपोजिट	लम्बी अवधि के निवेश
रिकरिंग डिपोजिट	भविष्य वित् की जरुरत की तेयारी
समुदाय स्वास्थ्य बीमा	व्यक्तिगत एव परिवारिक
समुदाय सम्पति बीमा	दुकान / घर ,आग एव चोरी

संचय, एक सदस्य द्धारा संचालित बचत और ऋण सहकारी सीमिति जिसमे फूटपाथ विक्रेता और अन्य अनोपचरिक श्रमिक सदस्य से रूप में है| बचत जमा, अवती जमा और सावधि जम , बचत की तरह उत्पादों के साथ सदस्यो के ऋण कार्यशील पूंजी स्वास्थ्य खर्च, शादी और अंतिम संस्कार के परियोजना के लिए और भी आवास के प्रयोजने के लिए प्राप्त कर सकते है| यह सहकारी सेवाओ का

सबसे अच्छा सकरात्मक पहलुओ में से एक है | यह किसी भी अतिरिक्त शुल्क या प्रभार के बिना उनके दरवाजे पर हमारे सदस्यों को सभी सुविधाय प्रदान करता है.|

सहकारी कार्यक्रम की एक सकरात्मक पहलु है और इसे समुदाय के सदस्य नियमित करते है |.
लम्बी अवधि में वित् सहयता के आलावा सहकारी समिति और क्या दे सकती है?

- यह लोकतान्त्रिक ढांचे को प्रोत्साहित करता है और सामूहिक स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करता है|
- यह छोटे उत्पादकों को सयुक्त रूप से बाजार तक पहुचने और मूल्य श्रृखला पर और अधिक कब्ज़ा करने पर सक्षम कर देगा |
- यह पूंजी संचय, सूक्ष्म वित् , ऋण और बैंकिंग के प्रवधान में सहायता करेगा |
- यह बीमा माइक्रो)– बीमा सहित के उपयुक्त प्रपत्र उपलब्ध करा कर स्थिरता एव सुरक्षा प्रदान (करेगा|
- यह अव्यधिक जरुरी वस्तुओं और सेवाओ सहित स्वास्थ्य देखभाल , शिक्षा , पानी और आवास प्रदान करेगा
- यह अनोपचारिक अर्थव्यवस्था में असुरक्षित श्रमिको के बाहर निकलने का उचिंत साधन पेश करेगा |
- यह महिलाओ को सशक्त करेगा एव लेंगिक भेदभाव व सामाजिक बहिष्क को दूर करने में उन्हें मदद करेगा |
- सहकरिता "सभ्य कार्य प्रथाओं " को प्रोत्साहित करेगी |.

महिला फूटपाथ विक्रेताओ को मिली एक नई आवाज- संवैधानिक टाउन वेंडिंग कमिटी में सदस्यता-

यह भारत के तीन लाख से अधिक महिला फूटपाथ विक्रेताओ से संबन्धित है जो एक लम्बे समय से फूटपाथ पर वस्तुओ और सेवाओ की बिक्री कर अपने परिवार को संभाल रही है | अपने रोजगार के लिए एक उपयुक्त स्थिर स्थान नहीं मिल पाने के कारण वे अपना साम्रगी मोबाइल या चलंत वेंडर के रूप में एक स्थान से दुसरे स्थान पर घूम घूम कर बेचती है-| उन्हें सड़क पर विभिन्न उत्पीडन का सामना करना पड़ता है परन्तु फिर भी वो अपनी परिवार के प्रति जिमेदारिया निभाने के लिए अपने काम से पीछे नही हटती | बहुत महिला दुकानदार जो की खाद्य साम्रगी बेचती है वे अपने पति को घर पर सभी साम्रगी तैयारी कर दे देती है जिन्हें उनके पति बेचते है परन्तु सभी कमाया हुआ पैसा उन्ही के पास उनके पति के पास ही रह जाता है |

वास्विकता में फूटपाथ दूकानदार अपने कार्यस्थल पर बहुत सारी समस्या झेलते है परन्तु महिलऐ के संदर्य में समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है | महिलाओ के लिए मार्केट में जगह बनाने में भी आसान नही होता | मार्केट में पुरुषो का ही साम्राज्य होता है | अधिकतर महिला दुकानदार घूमघूम-कर या बिखरी हुई रहती है और वे वेसा ही सामान बेचती है जो जल्द खराब हो सकता है |

बहुत सारे फूटपाथ दुकानदारो के संस्थाओ में या तो महिला है ही नही या अगर है तो उनकी संख्या काफी कम है | बहुतो का यह मानना है की महिला दुकानदारो को संगठित करना मुस्किल है कुछ संस्थाओ में संगठनों ने "महिला कोष' बनाया है और कुछ की तो बागड़ोर महिला नेतृव में ही हो रहा है |

2014 का फूटपाथ दुकानदार कानून फूटपाथ दुकानदार के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है | इस कानून के अंतगर्त TVC का बनना हिया जो की फूटपाथ दुकानदार से संबन्धित किसी भी मसाले पर निर्णय ले सकती है और इसका निर्णय ही सर्वेपरी होगा | TVC के अध्यक्ष निगम के आयुक्त होगा | इसमें 40% फूटपाथ दुकानदार के प्रतिनिधि होते है जिसमे 1/ महिलाओ का होगा आवश्यक है 3| इससे महिलाओ को एक मोऔका मिला है जिससे वे एक ऐसी समिति की सदस्य बनी है जिसमे वे अपने रोजगार संबन्धित निर्णय सभी के सामने रख सकती है | गुरु ग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरशन की रोड पर दर्जी का काम करनेवाली मोसम वती TVC की सदस्य है और वे अपने शहर को चमकाना चाहती है |. अब हमारे सामने सवाल है कि

- हम संगठनात्मक रूप में अधिक से अधिक महिला वेंडर्स को कैसे लाना चाहते हैं - हमें किन विशेष कदमों की ज़रूरत है?
- अलग महिला सेल बनाने का अनुभव क्या रहा है ?
- क्या नासवी को सभी महिला स्ट्रीट वेंडर्स के संगठनों के विकास के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए ?
- हम महिलाओं के सदस्यों को कैसे मजबूती प्रदान करे जो इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं ?
- हम टीवीसी के महिला सदस्यों को कैसे मजबूत करें ?